रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी

बनाम

अनुपम सहकारी गृह निर्माण समिति एवं अन्य

30.03.2000

[न्यायमूर्ति ए.पी. मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.बी. शाह]

एमपी नगर एवं ग्राम विकास अधिनियम, 1973-धारा 29, 30, 30(5) (परंतुक)-राजपत्र में प्रकाशित विकास योजना तैयार करने का उद्देश्य-अनुदान अनापित प्रमाण पत्र के लिए भूमि विकसित करने की अनुमित के लिए किए गए आवेदन-आवेदक ने मांगी गई जानकारी संचार की एक शृंखला में प्रदान नहीं की- भूमि विकसित करने की अनुमित नहीं दी गई- अनापित प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि मसौदा योजना पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी- उच्च न्यायालय ने मसौदा योजना को रद्द करने वाली रिट याचिका को अनुमित दे दी, क्योंकि 60 दिनों के भीतर कोई निर्णय सूचित नहीं किया गया- अपील में उपधारित किया गया- मानी गई अनुमित का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी- परंतुक को लागू करने से 60 दिनों की अविध समाप्त नहीं हुई थी क्योंकि मांगी गई जानकारी प्राप्त

नहीं हुई थी- अनापित प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि मसौदा योजना प्रकाशित हो चुकी थी और इसके विरोधाभास में कोई मंजूरी नहीं दी जा सकती थी- प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं थी- हालाँकि अधिनियम की धारा 31 या 32 के तहत अपील दायर की जा सकती थी, जो नहीं की गई।

धारा 50(1), (2), (3)- समान उद्देश्यों को दर्ज करने वाले प्रकाशन दो अलग-अलग तिथियों पर किए गए- दो प्रकाशनों के कारण कोई बुरा प्रभाव नहीं- यदि पहले प्रकाशन को समाप्त होने की अनुमित दी गई तो दूसरा प्रकाशन अमान्य नहीं होगा- धारा 50(3) के तहत दो वर्ष की अविध की गणना के लिए प्रारंभिक बिंदु दूसरा प्रकाशन होगा।

एमपी टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट नियम, 1975-नियम 18(2)- दो साल की सीमा फॉर्म XIII में धारा 50(2) के तहत प्रकाशन से शुरू होती है और फॉर्म XIV में धारा 50(3) के तहत मसौदा योजना के प्रकाशन के साथ समाप्त होती है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन उचित प्रचार के लिए आवश्यक है और इसे एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है- आपत्तियां दर्ज करने के लिए 30 दिनों की अविध को समाचार पत्र में प्रकाशन से गिना जाना चाहिए।

क़ानून की व्याख्या-हेयडन का सिद्धांत-जब दो व्याख्याएं संभव हों, तो विधायिका के इरादे के अधीन व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए-

अधिनियम का उद्देश्य नियोजित विकास प्रदान करना और एक व्याख्या को कायम रखना है।

म.प्र. नगर एवं ग्राम विकास अधिनियम, 1973 म.प्र. सपिठत टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट रूल्स, 1975 की कुछ धाराओं की इस अपील में व्याख्या करने की मांग की गई थी। अधिनियम की धारा 29 स्थानीय निकाय या अधिनियम के तहत गठित किसी प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास को संदर्भित करती है। धारा 30 निदेशक को अनुमित देने या अस्वीकार करने का अधिकार देती है जबिक धारा 30(5) आवेदन के 60 दिनों के भीतर सूचित नहीं किए जाने पर मानित अनुमित देती है। एक विकास योजना तैयार करने का इरादा धारा 50 (1) के तहत प्रकाशित किया जाना है जिसे धारा 50 (2) के तहत 30 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाना है और फिर धारा 50 (3) के तहत योजना का मसौदा 2 साल के भीतर नियम 18 के तहत निर्धारित प्रपत्र और तरीक से प्रकाशित किया जाना है।

अपीलकर्ता प्राधिकरण ने दो अलग-अलग तारीखों पर धारा 50(2) के तहत एक विकास योजना तैयार करने का अपना उद्देश्य प्रकाशित किया। प्रतिवादी नंबर 1 ने भूमि विकसित करने की अनुमित के लिए धारा 29 के तहत आवेदन किया और उसके बाद अनापित प्रमाण पत्र देने के लिए एक अन्य आवेदन दिया। संचार की एक शृंखला में आवेदक से कुछ जानकारी

मांगी गई थी, जो प्रदान नहीं की गई थी। प्रतिवादी को एक आदेश द्वारा सूचित किया गया कि योजना का प्रारूप पहले ही प्रकाशित हो चुका है, इसलिए अनापित प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता। उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि मानित अनुमित दी गई थी क्योंकि 60 दिनों के भीतर कोई निर्णय सूचित नहीं किया गया था; कि मसौदा योजना धारा 50(2) के तहत प्रकाशन के दो साल के भीतर प्रकाशित नहीं की गई थी और नियम 18(2) के तहत राजपत्र और स्थानीय समाचार पत्रों में एक साथ प्रकाशन की आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी। इसलिए यह अपील उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मंजूर कर ली।

उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि एक मान्य अनुमित पहले ही दी जा चुकी थी; कि धारा 50(3) के तहत प्रकाशन दो साल की सीमा समाप्त होने के बाद किया गया था, कि नियम 18(2) के तहत निर्धारित प्रकाशन के प्रारूप और तरीके का पालन नहीं किया गया था; और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दूसरा आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि अधिनियम या नियमों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता का कोई प्रावधान नहीं है।

अपील की अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

- 1. म.प्र. टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 30(5) का परंत् उस अवधि को जिस दौरान अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज आवेदक द्वारा चाहे गए हों, को छोड़कर 60 दिनों की अवधि बढ़ाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने धारा 29 के तहत भूमि के विकास के लिए आवेदन किया और 60 दिनों की समाप्ति से पहले विकास अनुमति के संबंध में कुछ जानकारी मांगने के लिए पांच संचार भेजे गए, जो आगे नहीं आए और इसलिए मामला बंद कर दिया गया। अपीलकर्ता के अंतिम पत्र की सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मामले को बंद करने और दायर करने का आदेश दिया गया था और साठ दिनों की अविध समाप्त नहीं हुई थी, परंतुक के मद्देनजर आवश्यक जानकारी नहीं भेजी गई थी। समझी गई अन्मति का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसके अलावा इस पत्र के संप्रेषित होने के बाद अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत कोई अपील या संशोधन दायर नहीं किया गया था। [788-जी-एच; 789-सी-डी]
- 2. म.प्र. में धारा 50(2) के अंतर्गत दो प्रकाशन किये गये। राजपत्र, दोनों में अपीलकर्ता का नगर विकास योजना तैयार करने का उद्देश्य दर्ज है। रिकॉर्ड से यह पता नहीं चला है कि दो अलग-अलग तारीखों पर एक ही उद्देश्य के लिए ऐसे दो प्रकाशन क्यों किए गए थे, हालांकि इसका अपीलकर्ताओं पर कोई बुरा परिणामिक प्रभाव नहीं होगा। कोई भी उद्देश्य, भले ही धारा 50(2) के तहत प्रकाशित किया गया हो, यदि वह व्यपगत हो

गया हो, किसी कारण से आगे नहीं बढ़ाया गया हो और कुछ कारणों से ऐसा दूसरा प्रकाशन किया गया हो, अधिनियम या नियमों के तहत किसी प्रतिबंध के अभाव में ऐसे दूसरे प्रकाशन को अमान्य नहीं करेगा। परिसीमा की अविध बाद के प्रकाशन से शुरू होगी। यदि अपीलकर्ता केवल पहले प्रकाशन के अनुसरण में मसौदा योजना का अनुसरण कर रहे थे, तो सीमा के प्रश्न को प्रासंगिकता और वैध विचार प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जब उसने बाद में ऐसा कोई अन्य इरादा प्रकाशित किया, तो अविध इस बाद के प्रकाशन से होनी चाहिए। धारा 50(3) के तहत प्रकाशन धारा 50(2) के तहत प्रकाशन की तारीख से दो साल की अविध के भीतर किया गया था। इस आधार पर योजना के प्रारूप को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। [790-डी-जी]

3.1. नियम 18 ऐसे प्रकाशन के रूप और तरीके को निर्धारित करता है और यदि धारा 50(3) और धारा 50(2) के अनुरूप पढ़ा जाए, तो फॉर्म XIII में धारा 50(2) के तहत प्रकाशन की तारीख से दो साल की सीमा शुरू होती है और प्रपत्र XIV में धारा 50(3) के तहत प्रारूप योजना के प्रकाशन के साथ समाप्त होता है, जब यह एम.पी. में प्रकाशित होता है। राजपत्र जैसा कि नियम 18(2) में बताया गया है, एक या अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता को उचित प्रचार देना है तािक वे मसौदा योजना पर अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकें।

यद्यपि राजपत्र में प्रकाशन भी बड़े पैमाने पर जनता के लिए एक सूचना है, लेकिन विधानमंडल के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह किसी भी स्थानीय दैनिक में प्रकाशन के माध्यम से जनता को अतिरिक्त प्रचार दे सके। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन को इसके तहत प्रकाशन की तारीख माना जाएगा।

दो वर्ष की अविध की गणना के लिए धारा 50(3)। एक या एक से अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में आगे प्रकाशन केवल उचित प्रचार देने और लोगों के बड़े वर्ग को ऐसी योजना के बारे में जागरूक करने के लिए आवश्यक है। राजपत्र और किसी भी स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में एक साथ प्रकाशन, भले ही न किया गया हो, मसौदा योजना को अमान्य नहीं करेगा। [791-एच; 792-ए-बी]

3.2. जब प्रपत्र XIV में प्रकाशन म.प्र. राजपत्र बनाया जाता है, नियम 18 के तहत विचारित प्रपत्र और प्रक्रिया का अनुपालन पूरा हो जाता है और यदि यह प्रकाशन धारा 50 (2) के तहत प्रकाशन के दो साल के भीतर किया जाता है, तो इसके तहत किसी भी योजना के लिए कोई अमान्यता नहीं हो सकती है। नियम 18(2) के दो भाग हैं। पहला भाग और दूसरा भाग "और" शब्द से असंबद्ध हैं जो अलग-अलग प्रयोजन के लिए हैं। इस नियम का उत्तरार्द्ध व्यक्तियों को प्रकाशित प्रारूप योजना पर आपत्ति दर्ज करने या स्झाव देने का अधिकार प्रदान करता है। आपत्तियां

दर्ज करने या सुझाव देने के लिए 30 दिनों की गिनती का प्रारंभिक बिंदु उस तारीख से होना चाहिए जब मसौदा योजना समाचार पत्र में प्रकाशित हो। [792-एच; 793-ए-डी]

- 4. जब भी दो संभावित व्याख्याएं हों, जो विधायिका की मंशा के अनुरूप हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उपरोक्त अधिनियम का उद्देश्य नियोजित विकास है और इसलिए ऐसी किसी भी योजना का समर्थन करने वाली व्याख्या का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी अधिनियम की व्याख्या करने में हेडन का सिद्धांत अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। इसमें कहा गया है कि अदालतों को उस संरचना को अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाती है और उपचार को आगे बढ़ाती है। उपरोक्त अधिनियम ने जो उपाय प्रदान किया है वह विकास योजनाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत लाए गए क्षेत्रों के सुचारू और तेज़ विकास के लिए है। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या न केवल इस उपाय की प्रगति में बाधा डालती है बल्कि इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। [793-ई-जी] के.पी. वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य, [1981] 4 एससीसी 173, पर भरोसा किया गया।
- 5. कोई मानित अनुमित नहीं थी क्योंकि मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रतिक्रिया की कमी के कारण कार्यवाही बंद कर दी गई थी। अनापित प्रमाण पत्र देने के लिए दूसरा आवेदन खारिज कर दिया गया

क्योंकि मसौदा योजना पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी और मंजूरी केवल उक्त योजना के संदर्भ में ही हो सकती थी और इसके विपरीत कोई भी स्वतंत्र विकास योजना मंजूर नहीं की जा सकती थी। आदेशों में कोई अवैधता नहीं है। यदि कोई विकास योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो विकास के लिए धारा 29 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी आवेदन इसके विपरीत नहीं हो सकता है। यह योजना वर्ष 1985 में बनाई गई थी और लंबे मुकदमे के कारण इसे पूरी ताकत से लागू करने में देरी हो रही है। अदालतों को आम तौर पर हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि यह अधिनियम, नियम या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन न हो। [794-जी-एच; 795-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4553/1989।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के म.प्र. का क्रमांक 3857/1987 में

निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.8.88 से।

अनुप बी. चौधरी और ए.के. अपीलार्थी की ओर से।

आर. रामचंद्रन, एस.के. गंभीर, राजा चटर्जी, साकेश कुमार, सचिन दास, जी.एस. चटर्जी और उत्तरदाताओं के लिए एस.के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति मिश्रा द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया- अपीलार्थी ने म.प्र. नगर एवं ग्राम विकास अधिनियम, 1973, (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 50 की उपधारा (2) और (3) सपठित नगर एवं ग्राम विकास नियम, 1975 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 18 की व्याख्या का सवाल उठाया है।

यह अपील उच्च न्यायालय के दिनांक 25.8.1988 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसने रायपुर के शंकर नगर सहित कुछ गांव जिससे हमारा संबंध है, के संबंध में अधिनियम की धारा 30(5) के तहत अपनी भूमि को विकसित करने की मानित अनुमित मानते हुए अधिनियम की धारा 50(3) के अंतर्गत म.प्र. राजपत्र दिनांक 4.9.1987/11.9.1987 में प्रकाशित विकास के लिए मसौदा योजना को रद्द करके प्रतिवादी नंबर 1 की रिट याचिका को अनुमित दी थी।

अब हम इस अपील में विवादों की विवेचना करने के लिए कुछ तथ्यात्मक मैट्रिक्स देते हैं। अपीलकर्ता अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकारी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 म.प्र. के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी आवास समिति है। सहकारी आवास अधिनियम, 1960। उपरोक्त 1973 अधिनियम उचित विकास के लिए भूमि की योजना, विकास और उपयोग के प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत नगर नियोजन योजनाएं प्रभावी ढंग से बनाई गई हैं। राज्य सरकार अधिसूचना

के माध्यम से योजना क्षेत्रों का गठन करती है और उसकी सीमा निर्धारित करती है। धारा 14 निदेशक को विकास योजना तैयार करने का आदेश देती है। ऐसी विकास योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है, जो रायप्र शहर के लिए 9.9.1976 को या उसके पहले स्वीकृत की गई थी। अध्याय VI भूमि के नियंत्रण, विकास और उपयोग से संबंधित है। धारा 24 के तहत, भूमि का समग्र नियंत्रण, विकास और उपयोग अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार में निहित है। धारा 25 आदेश देती है, भूमि का उपयोग और विकास स्वीकृत विकास योजना के प्रावधानों के अन्रूप होना चाहिए, धारा 26 निदेशक की लिखित अन्मति के बिना किसी भी भूमि के विकास पर रोक लगाती है। धारा 27 संघ या राज्य सरकार दवारा किए गए विकास को संदर्भित करती है। धारा 28 स्थानीय निकाय या अधिनियम के तहत गठित किसी प्राधिकरण द्वारा किए गए विकास को संदर्भित करती है, जबकि धारा 29 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास को संदर्भित करती है। धारा 30 निदेशक को सशर्त, बिना शर्त अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार देती है, जबिक उप-धारा (5) एक ऐसे मामले को संदर्भित करती है, जहां प्राधिकरण विकास के लिए धारा 29 के तहत किसी के आवेदन पर उसके निर्माण के 60 दिनों के भीतर अपना आदेश संप्रेषित करने में विफल रहता है, तो उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी। धारा 50(1) के तहत, नगर और देश विकास प्राधिकरण,

किसी भी समय, एक नगर विकास योजना तैयार करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकता है जिसे उप-धारा (2) के तहत तीस दिनों के भीतर प्रकाशित किया जा सकता है। उप-धारा (3) के तहत मसौदा योजना को उप-धारा (2) के तहत प्रकाशन के दो साल के भीतर, नियम 18 के तहत निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रकाशित किया जाना है और इस प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, आपत्तियां और सुझाव दिए जाने हैं। इसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकता है, जिसे इस पर विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा और यदि कोई हो, तो परिणामिक संशोधन करना होगा। उप-धारा (7) के तहत योजना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से, धारा 53 के आधार पर भूमि के उपयोग और विकास के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो केवल धारा 54 के तहत निदेशक द्वारा अधिकृत विकास के अनुसार होना चाहिए।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में प्रतिवादी का मामला यह था कि उसकी सोसायटी अपने सदस्यों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, घरों के निर्माण के लिए भूखंड प्रदान करती है। इसने वर्ष 1985-86 में शंकर नगर, सर्किल नंबर 1 में 25 एकड़ कृषि भूमि खरीदी। इसे खरीदा गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने नीतिगत निर्णय दिनांक 30.10.1981 के माध्यम से हाउसिंग सोसाइटियों को दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया

था। इसमें निर्धारित किया गया था, उपलब्ध भूमि का 25% घरों के निर्माण के लिए हाउसिंग सोसाइटियों को दिया जाना था और यदि सरकारी भूमि इससे कम हो जाती है, तो वह सोसायटियों के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। वहीं प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार अपीलार्थी ने म.प्र. में अधिसूचना के माध्यम से धारा 50 की उपधारा (2) के अंतर्गत विकास योजना तैयार करने की मंशा प्रकाशित की थी। राजपत्र दिनांक 30.3.1985 ग्राम शंकर नगर, रायपुर सहित। इस अवधि के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 2.6.1986 को प्रतिवादी क्रमांक 2, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को अनुमति के लिए आवेदन किया।

धारा 29 के तहत अपनी भूमि का विकास करें और कहा कि अनुमित मिलने के बाद आवश्यक शुल्क जमा किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1 ने एक अन्य आवेदन के माध्यम से 1.1.1987 को प्रतिवादी संख्या 3 को अनापित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इस पर दिनांक 16.11.1987 को आदेश पारित किया गया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास योजना का प्रारूप पहले ही प्रकाशित हो चुका है। पहले आवेदन दिनांक 2.6.1986 के संदर्भ में, प्रतिवादी का मामला यह है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अनुमित देने या अस्वीकार करने के अपने किसी भी निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया, इसलिए उक्त आवेदन के 60 दिनों के बाद, यह गुणात्मक रूप से मान्य अनुमित

में परिपक्व हो गया। धारा 30 की उप-धारा (5) का। मसौदा योजना के लिए अगली च्नौती यह है कि इसे धारा 30 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर, 30.3.1985 से प्रकाशित नहीं किया गया था। धारा 50 की उपधारा (3) इसलिए यह गैर-स्थायी और निष्क्रिय है। यह भी प्रस्त्त किया गया है कि नियम 18(2) में धारा 50 की उप-धारा (3) के तहत मसौदा योजना को राजपत्र में और एक या अधिक स्थानीय अखबार में प्रकाशित करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है दोनों में प्रकाशन, यानी राजपत्र और राजपत्र में। समाचार पत्र को एक साथ दो वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए और समाचार पत्र में प्रकाशन केवल 7.11.1987 को किया गया था जो कि राजपत्र में धारा 50 की उपधारा (3) के तहत प्रकाशन की तारीख से दो महीने से अधिक है। अतः इन सभी कारणों से प्रकाशित योजना का प्रारूप अमान्य एवं निष्क्रिय है। संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.1987, विकास की अनुमति देने से इंकार करने तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायप्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 1.11.1987 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने याचिका दायर की। उपरोक्त रिट याचिका को आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसके द्वारा रायप्र के ग्राम शंकर नगर के संबंध में अपीलकर्ता की उपरोक्त मसौदा योजना को रद्द कर दिया गया था। यह भी माना गया कि प्रतिवादी का

आवेदन दिनांक 2.6.1986, 60 दिनों की समाप्ति के बाद, किसी भी आदेश के अभाव में अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (5) के तहत समझी गई अनुमित के रूप में योग्य है। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया पहला तर्क यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (5) के मद्देनजर, क्या यह कहा जा सकता है कि यह डीम्ड अनुमित का मामला है। तैयार संदर्भ के लिए धारा 30 यहां उद्धृत की गई है:-

- "30. अनुमित देना या अस्वीकार करना- (1) धारा 29 के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, लिखित आदेश द्वारा-
- (ए) बिना शर्त अनुमति प्रदान करें;
- (बी) ऐसी शर्तों के अधीन अनुमित प्रदान करेगा, जो परिस्थितियों के तहत आवश्यक समझी जा सकती हैं;
- (सी) अनुमति देने से इंकार कर दें।
- (2) शर्तों के अधीन अनुमित देने या अनुमित देने से इनकार करने वाले प्रत्येक आदेश में ऐसी शर्तों को लागू

करने या इस तरह के इनकार के लिए आधार बताया जाएगा।

- (3) उप-धारा (2) के तहत या उसके बिना दी गई कोई भी अनुमति शर्तें उस तरीके से होंगी जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आदेश आवेदक को ऐसे तरीके से सूचित किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।
- (5) यदि निदेशक अपने आवेदन की प्राप्ति की तारीख से [साठ दिनों] के भीतर आवेदक को अनुमित देने या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय नहीं बताता है, तो ऐसी अनुमित आवेदक को तुरंत दी गई तारीख पर दी गई मानी जाएगी। [साठ दिन] की समाप्ति तिथि के बाद; बशर्ते कि [साठ दिन] की अविध की गणना करते समय आवेदक से किसी भी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की मांग की तारीख और आवेदक से ऐसी जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख के बीच की अविध को बाहर रखा जाएगा।"

उप-धारा (5) के तहत, यदि निदेशक बिना शर्त या सशर्त अन्मति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अन्मति दी गई मानी जाएगी। लेकिन इसका महत्वपूर्ण प्रावधान उस अवधि को छोड़कर इस अवधि को बढ़ाता है जिसके दौरान आवेदक से उसकी प्राप्ति की तारीख तक कोई अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगा जाता है। यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 2.6.1986 को धारा 29 के तहत भूमि के विकास के लिए आवेदन किया था। 60 दिन 2.8.1986 को समाप्त हो रहे हैं। प्रतिवादी का मामला यह है कि इस तिथि तक निदेशक ने न तो अन्मति देने से इनकार किया है और न ही अन्मति दी है, इसलिए इसे दी गई माना जाएगा। दूसरी ओर, अपीलकर्ता संयुक्त निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 को भेजे गए पांच संचारों पर दृढ़ता से भरोसा करता है, जिसमें विकास अनुमति के संबंध में कुछ जानकारी मांगी गई थी, जो नहीं थी।

इस कारण आगामी समय में प्रतिवादी का मामला बंद कर दिया गया, जिसका प्रमाण दिनांक 6.10.1986 के पत्र से मिलता है। इस प्रकार उक्त परंतुक के मद्देनजर मान्य अनुमित का प्रश्न ही नहीं उठता। यह पत्र उक्त पांच पूर्व संचारों को संदर्भित करता है, अर्थात्, पत्र दिनांक 18.6.1986, 1.7.1986, 21.7.1986, 31.7.1986 और 9.9.1986। पत्र में दर्ज है:

"उपरोक्त विषय के संदर्भ में उपरोक्त पत्रों का संदर्भ लें आपसे मांगी गई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मामला बंद कर दिया गया है और दायर किया गया है।" इस प्रकार उक्त आवेदन करने के बाद से पूरे चार माह से अधिक समय तक सूचना नहीं मिल सकी है।

इस पत्र की सामग्री से स्पष्ट पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 के मामले को बंद करने और दायर करने का आदेश दिया गया था। इस पत्र से पता चलता है कि उक्त परंतुक के आलोक में साठ दिन की अविधि समाप्त नहीं हुई है क्योंकि मांगी गई जानकारी नहीं भेजी गई थी। इसलिए डीम्ड अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर आगे यह उसके आवेदन को अस्वीकार करने का मामला बनता है। यह पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को स्चित किया गया था। उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत विचार के अनुसार कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया। इस प्रकार हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में तृटि की है कि यह डीम्ड अनुमति का मामला है।

प्रतिवादी की ओर से अगली दलील यह है कि मसौदा योजना धारा 50 की उपधारा (2) के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर प्रकाशित नहीं की गई थी। दलील यह है कि उपधारा (2) के तहत घोषणा प्रकाशित की गई थी 30.3.1985 को, इसलिए 4.9.1987 को बनाई गई मसौदा योजना की धारा 50 की उपधारा (3) के तहत प्रकाशन दो साल की अविध से परे है। दूसरी ओर अपीलकर्ता का मामला यह है कि उपधारा (2) के तहत प्रकाशन 6.9.1985 को किया गया था और चूंकि धारा 50 की उपधारा (3) के तहत मसौदा योजना 4.9.1987 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। दो वर्ष की अविध के भीतर है, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं है। धारा 50 और इसकी उप-धाराएं (1), (2) और (3) यहां उद्धृत की गई हैं:-

- 50. नगर विकास योजनाओं की तैयारी-
- (1) नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण, किसी भी समय, नगर विकास योजना तैयार करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकता है।
- (2) टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट योजना बनाने के इरादे की ऐसी घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर नहीं प्राधिकरण घोषणा को राजपत्र में और ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा जो निर्धारित किया जा सकता है।
- (3) उप-धारा (2) के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर, टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी ड्राफ्ट फॉर्म में एक टाउन डेवलपमेंट स्कीम तैयार करेगी और इसे ऐसे फॉर्म और तरीके से प्रकाशित

करेगी जैसा निर्धारित किया जा सकता है एक नोटिस के साथ उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उसमें निर्दिष्ट तारीख से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना, ऐसी तारीख ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से पहले नहीं होनी चाहिए।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि म.प्र. में उपधारा (2) के अंतर्गत दो प्रकाशन हैं। राजपत्र, एक दिनांक 30.3.1985 तथा दूसरा दिनांक 6.9.1985 है। उपरोक्त दोनों राजपत्र प्रकाशन धारा 50 की उपधारा (2) के तहत नगर विकास योजना तैयार करने के अपीलकर्ता के इरादे को दर्ज करते हैं। रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता है कि दो अलग-अलग तिथियों पर एक ही उद्देश्य के लिए ऐसे दो प्रकाशन क्यों किए गए थे। फिर भी इन तथ्यों पर हमारे विचारार्थ यह प्रश्न उठता है कि दो वर्ष की अवधि की गणना का प्रारम्भिक बिन्द् क्या होगा। हमारी सुविचारित राय में, ऐसे दो प्रकाशनों के कारण अपीलकर्ताओं पर इसका कोई बुरा परिणामी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी इरादा, भले ही धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित किया गया हो, यदि वह व्यपगत हो जाता है, किसी कारण से आगे नहीं बढ़ाया जाता है और कुछ कारणों से अधिनियम या नियमों के तहत किसी भी प्रतिबंध के अभाव में, ऐसा दूसरा प्रकाशन किया जाता है। जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया है, यह इस तरह के दूसरे प्रकाशन को अमान्य नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही पहले इरादे के प्रकाशन के

बाद, या तो इसे छोड़ दिया जाए या अन्यथा प्नर्विचार किया जाए, यदि ऐसा कोई अन्य इरादा प्रकाशित किया जाता है तो यह उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित होने पर एक वैध सूचना होगी। यदि ऐसा है, तो सीमा की अवधि बाद के ऐसे प्रकाशन से शुरू होगी। वर्तमान स्थिति में यह 6.9.1985 होगा। यदि अपीलकर्ता केवल 30.3.1985 को किए गए प्रकाशन के अनुसरण में इसकी मसौदा योजना का पालन कर रहे थे, तो सीमा के प्रश्न को प्रासंगिक और वैध विचार प्राप्त ह्आ होगा, लेकिन जब उसने बाद में इस तरह का एक और इरादा प्रकाशित किया, तो अवधि इस बाद के प्रकाशन से होनी चाहिए। माना जाता है कि धारा 50 की उपधारा (3) के तहत प्रकाशन 4.9.1987 को किया गया था जो कि उपधारा (2) के तहत प्रकाशन दिनांक 6.9.1985 से दो साल की अवधि के भीतर है। इस प्रकार इस स्कोर पर मसौदा योजना को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। आगे यह प्रस्त्त किया गया है कि धारा 50 उप-धारा (3) के अनुसार आवश्यक दो वर्ष की अवधि उप-धारा के तहत प्रकाशन की तारीख के बीच की अवधि है (2) और उप-धारा (3) के तहत प्रकाशन की तारीख और यह नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप और तरीके से होनी चाहिए। नियम 18(2) में प्रपत्र निर्धारित है जिसका प्रकाशन म.प्र. में आवश्यक है। राजपत्र और एक या अधिक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र। इस प्रकार प्रकाशन तभी पूर्ण होगा जब प्रकाशन राजपत्र और समाचार पत्र दोनों में किया गया हो और चूंकि समाचार पत्र में प्रकाशन उपरोक्त राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के दो

महीने से अधिक समय के बाद किया गया था, इसलिए दो साल के भीतर प्रकाशित नहीं किया गया है, यह विपरीत है नियमों की आवश्यकता के अनुसार यह तभी मान्य हो सकता है, जब राजपत्र और स्थानीय समाचार पत्र दोनों में प्रकाशन एक साथ किया गया हो। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को बरकरार रखा और इस स्कोर पर मसौदा योजना को अमान्य ठहराया। हमने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष और प्रतिवादी के विद्वान वकील की प्रस्तुति पर विचार किया है। इसकी सराहना के लिए नियम 18(1) और (2) को यहां उद्धत किया गया है:-

नियम 18- नगर विकास योजनाओं की तैयारी।

- (1) टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म XIII में धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत राजपत्र में और एक या अधिक स्थानीय में विज्ञापन के माध्यम से एक टाउन डेवलपमेंट योजना बनाने के इरादे की घोषणा करते हुए एक नोटिस प्रकाशित करेगी। हिन्दी समाचार पत्र। इसकी प्रतियां नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के कार्यालय तथा संबंधित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस के रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर, टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी उप-धारा (3) के तहत एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगी। प्रपत्र XIV में

धारा 50 "मध्य प्रदेश राजपत्र" और एक या अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में उचित प्रचार देकर सूचित करें कि नगर विकास योजना का मसौदा तैयार हो गया है और नगर एवं ग्राम विकास कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। संबंधित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय समय के दौरान ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त मसौदे के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

नियम 18 ऐसे प्रकाशन का स्वरूप और तरीका निर्धारित करता है। उप-नियम (1) धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत नगर विकास योजना बनाने के इरादे से फॉर्म XIII में नोटिस के प्रकाशन को संदर्भित करता है। उप-नियम (2) उप-के तहत विचाराधीन मसौदा योजना की सूचना के प्रकाशन को संदर्भित करता है।

धारा 50 की धारा (3) फॉर्म XIV में होगी। यह आगे दर्ज करता है, इसे मध्य प्रदेश राजपत्र और एक या अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए तािक उचित प्रचार किया जा सके कि नगर विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया है और नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उक्त प्रारूप के संबंध में आपित्तयां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। यदि हम धारा 50 उप-धारा (3) और उप-धारा (2) दोनों को नियम 18 के साथ सुसंगत रूप

से पढ़ते हैं, तो दो साल की सीमा फॉर्म XIII में धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशन की तारीख से शुरू होती है। और प्रपत्र XIV में धारा 50 की उप-धारा (3) के तहत मसौदा योजना के प्रकाशन के साथ समाप्त होता है, जब यह मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होता है। जैसा कि नियम 18 के उप-नियम (2) में कहा गया है, एक या अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता को उचित प्रचार देना है तािक वे मसौदा योजना पर अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकें। यद्यपि राजपत्र में प्रकाशन भी बड़े पैमाने पर जनता के लिए एक सूचना है, लेकिन विधानमंडल के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह किसी भी स्थानीय दैनिक में प्रकाशन के माध्यम से जनता को अतिरिक्त प्रचार दे सके। दरअसल, हिंदी अखबार के रिकॉर्ड में प्रकाशन के संबंध में नियम 2:

"...और एक या एक से अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में उचित प्रचार करके सूचित करें कि नगर विकास योजना का मसौदा तैयार हो गया है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध है..."

[जोर दिया गया]

हालाँकि, दो साल की अविध की गणना के लिए, जिस क्षण यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होता है, उसे धारा 50 की उपधारा (3) के तहत प्रकाशन की तारीख माना जाता है। जैसा कि हमने कहा है, एक में

आगे प्रकाशन या अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्र की आवश्यकता केवल उचित प्रचार देने के लिए, लोगों के बड़े वर्ग को ऐसी योजना के बारे में जागरूक करने के लिए होती है।

नियम 18 के उप-नियम (2) के लिए आवश्यक है:

"उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस के रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर, टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी धारा 50 की उप-धारा (3) के तहत एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगी।" मध्य प्रदेश राजपत्र (मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र) में फॉर्म XIV में..."।

इस प्रकार, जब मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रपत्र XIV में प्रकाशन किया जाता है, तो इस नियम के प्रपत्र और प्रक्रिया का अनुपालन पूरा हो जाता है। इसलिए यदि यह प्रकाशन धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशन के दो साल के भीतर किया जाता है, तो किसी भी योजना के लिए कोई अमान्यता नहीं होगी।

इसके नीचे। इसे देखते हुए किसी अन्य प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है कि यह अनुपालन अनिवार्य है या निर्देशिका। इस दलील में कोई दम नहीं है कि दो साल की गणना अविध के लिए प्रकाशन का अनुपालन तभी पूरा होगा जब इसे स्थानीय समाचार पत्र में भी एक साथ प्रकाशित किया जाएगा। नियम 18 के उप-नियम (2) के दो भाग हैं। पहला भाग हमने ऊपर उद्धृत किया है और दूसरा भाग जो "और" शब्द से असंबद्ध है, एक अन्य उद्देश्य के लिए है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:

"...और एक या एक से अधिक स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में उचित प्रचार देकर सूचित करें कि नगर एवं ग्राम विकास योजना का मसौदा तैयार हो चुका है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध है...आपित्तयां और सुझाव आमंत्रित हैं........ऐसे नोटिस के प्रकाशन के तीस दिनों की अविध के भीतर।"

इस नियम का उत्तरार्द्ध व्यक्तियों को प्रकाशित प्रारूप योजना पर आपित दर्ज करने या सुझाव देने का अधिकार प्रदान करता है। इसिलए तीस दिनों की अविध की गणना के लिए, वह तारीख जब मसौदा योजना समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, उसे शुरुआती बिंदु की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए।

जब भी दो संभावित व्याख्याएं हों, जो विधायिका की मंशा के अनुरूप हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उपरोक्त अधिनियम का उद्देश्य नियोजित विकास है और इसलिए ऐसी किसी भी योजना का समर्थन करने वाली व्याख्या का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी अधिनियम की व्याख्या करने में हेडन का सिद्धांत अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। इसमें कहा गया है कि अदालतों को यह देखना होगा,

(ए) अधिनियम बनाने से पहले कानून क्या था; (बी) वह कौन सी शरारत या दोष था जिसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था; (सी) अधिनियम ने क्या उपाय प्रदान किया है; (घ) उपाय का कारण क्या है? इसमें कहा गया है कि अदालतों को उस संरचना को अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाती है और उपचार को आगे बढ़ाती है। इसे कई निर्णयों में इस गिनती से अनुमोदित किया गया है। उनमें से एक हैं के.पी. वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य, [1981] 4 एससीसी 173।

उपरोक्त अधिनियम ने जो उपाय प्रदान किया है वह विकास योजनाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत लाए गए क्षेत्रों के सुचारू और तेज़ विकास के लिए है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को पाते हैं जो न केवल इस उपाय की प्रगति में बाधा डालती है बल्कि इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि उच्च न्यायालय ने उस प्रकाशन को म.प्र. में रोककर त्रृटि की है। राजपत्र और स्थानीय समाचार पत्र एक साथ होने चाहिए। उपरोक्त सभी कारणों से हमें इसे एक साथ आयोजित करने में कोई झिझक नहीं है राजपत्र और किसी भी स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशन, भले ही न किया गया हो, मसौदा योजना को अमान्य नहीं करेगा। धारा 50 की उपधारा (2) के तहत अगला प्रकाशन उपधारा (1) के तहत विकास योजना तैयार करने के इरादे की घोषणा की तारीख से 30

दिनों के भीतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सबिमशन तब तक है जब तक कि उप-धारा (2) के तहत प्रकाशन उप-धारा (1) के तहत घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, मसौदा योजना समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है। सबसे पहले, हमें रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली कि ऐसी मसौदा योजना बनाने के इरादे की घोषणा कब की गई थी और न ही हमें रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किया गया ऐसा कोई प्रस्तुतीकरण मिला। इस प्रकार इसमें कोई योग्यता नहीं है और इसलिए खारिज कर दिया गया है।

अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए अपीलकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवादी क्रमांक 1 का आवेदन दिनांक 1.1.1987 को उनके द्वारा और संयुक्त निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा आदेश के माध्यम से 16.11.1987 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 20.11.1987 रद्द किए जाने योग्य हैं, क्योंकि अधिनियम या नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके लिए ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो। यह गलत धारणा है जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। ऐसा लगता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने विकास के लिए दो आवेदन किए हैं। पहला 2.6.1986 को है और दूसरा, जैसा कि उपर बताया गया है, दिनांक 1.1.1987 को।

अब तक पहले आवेदन दिनांक 2.6.1986 में, हम पहले ही दर्ज कर च्के हैं कि धारा 30 की उपधारा (5) के तहत कोई अनुमति नहीं है। वास्तव में, प्रतिवादी की प्रतिक्रिया की कमी के कारण इसके अन्सरण में कार्यवाही बंद कर दी गई थी मांगी गई जानकारी के संबंध में। दूसरा आवेदन दिनांक 1.1.1987 का है जिसमें प्रतिवादी-समाज ने गांवों में कुछ जमीनें खरीदने की बात कही है और यह समाज स्वयं अपीलकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करता है। हालाँकि, म्ख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 16.11.1987 के एक आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया क्योंकि विचाराधीन भूमि, ग्राम शंकर नगर में स्थित है, जिसमें एक मसौदा योजना, जैसा कि पूर्वोक्त, पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। माना जाता है कि जब कोई मसौदा योजना प्रकाशित की जाती है तो मंजूरी केवल उक्त योजना के संदर्भ में ही हो सकती है और इसके विपरीत कोई भी स्वतंत्र विकास योजना मंजूर नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार, संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम नियोजन ने भी पत्र/आदेश दिनांक 20.11.1987 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया क्योंकि आवेदित क्षेत्र रायपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के अंतर्गत आता है जो पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। हमें उक्त दोनों आदेशों में कोई अवैधता नहीं मिली। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1, यदि व्यथित है, तो उसके पास अधिनियम की धारा 31 या 32 के तहत इसके खिलाफ अपील या पुनरीक्षण को प्राथमिकता देने का

उपाय है। अन्यथा, हमें लगता है कि यदि कोई विकास योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो विकास के लिए धारा 29 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी आवेदन ऐसी योजना के विपरीत नहीं हो सकता है। यह योजना वर्ष 1985 में बनाई गई थी, लंबे मुकदमे के कारण इसे पूरी ताकत से लागू करने में देरी हो रही है। अदालतों को आम तौर पर इसमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि यह अधिनियम, नियम या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन न हो।

उपरोक्त सभी कारणों से, हम इस अपील में योग्यता पाते हैं और मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने मसौंदा योजना को रद्द करने और प्रतिवादी नंबर 1 के आवेदन को अनुमित देने में त्रुटि की है। इस प्रकार हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.8.1988 को रद्द करते हैं। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

अपील अन्जात

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रामदेव सांदू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।